

अति तत्काल  
फैक्स / स्पीड पोस्ट से

संख्या : 14/4/2013-ईओयू  
भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग  
(ईओयू अनुभाग)

---

उद्योग भवन, नई दिल्ली  
दिनांक : 9 सितंबर, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय : ईओयू योजना के लिए 30 अगस्त, 2013 को आयोजित की गई अनुमोदन बोर्ड की चौथी बैठक  
(2013 सीरीज) का कार्यवृत्त

अधोहस्ताक्षरी को 30 अगस्त, 2013 को आयोजित ईओयू योजना के लिए अनुमोदन बोर्ड की चौथी बैठक  
(2013 सीरीज) के कार्यवृत्त की प्रति आवश्यक कार्रवाई के लिए इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ  
है।

2. कृपया इस विभाग को अनुमोदन बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णयों पर कार्यान्वयन रिपोर्ट प्राथमिकता आधार  
पर भेजें।

(एस एस कुमार)  
अवर सचिव, भारत सरकार  
टेलीफोन : 23062496  
ई-मेल : [kumar.ss@nic.in](mailto:kumar.ss@nic.in)

संलग्नक : यथोपरि

1. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
2. सीबीईसी (सदस्य, सीमा शुल्क), वित्त मंत्रालय
3. सीबीडीटी (सदस्य, आयकर), वित्त मंत्रालय
4. डीजीएफटी
5. संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
6. संयुक्त सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
7. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
8. विकास आयुक्त, सीएसईजेड, एफएसईजेड, आईएसईजेड, केएसईजेड, एमएसईजेड,  
एनएसईजेड, एसईईपीजेड – एसईजेड और वीएसईजेड
9. महानिदेशक, ईपीसीईएस
10. सभी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय

प्रति प्रेषित : वाणिज्य सचिव के पीपीएस / अपर सचिव(एमपी) के पीपीएस / संयुक्त सचिव (आरए) के  
पीएस / निदेशक(एसएस) के पीएस

ईओयू योजना के लिए वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में 30 अगस्त, 2013 को पूर्वाह्न 10:00 बजे आयोजित अनुमोदन बोर्ड की चौथी बैठक (2013 सीरीज) का कार्यवृत्त

वाणिज्य सचिव श्री एस आर राव की अध्यक्षता में कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में 30 अगस्त, 2013 को ईओयू के लिए अनुमोदन बोर्ड की चौथी बैठक (2013 सीरीज) हुई। अध्यक्ष महोदय ने बीओए के सभी सदस्यों का स्वागत किया। अध्यक्ष महोदय ने एसईजेड के विकास आयुक्तों की समिति के प्रयासों में मदद करने के लिए श्री मनोज अरोड़ा, अपर डीजीईपी द्वारा किए गए अच्छे कार्य की सराहना की तथा रिकार्ड में शामिल किया।

4.1(13) : 12 जून, 2013 को आयोजित बीओए की तीसरी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

अनुमोदन बोर्ड ने 12 जून, 2013 को आयोजित बीओए की तीसरी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

4.2(13) : मैसर्स पिनाकल रिंग बाइंडर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - ईओयू का स्थान रामानगरम जिला (कर्नाटक) से बदलकर कृष्णागिरी जिला (तमिलनाडु) करने के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने ईओयू का स्थान रामानगरम जिला (कर्नाटक) से बदलकर कृष्णागिरी जिला (तमिलनाडु) करने के लिए यूनिट के अनुरोध पर विचार किया तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

- यूनिट नए लोकेशन के लिए नया पीबीडब्ल्यूएच लाइसेंस, इनबांड विनिर्माण संस्वीकृति आदेश तथा क्षेत्राधिकारी आयुक्त से नया केंद्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण प्राप्त करेगी।
- आयकर अधिनियम की धारा 10(ख) के तहत लाभ के लिए पात्रता निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :
  - यह किसी सामग्री या वस्तु या कंप्यूटर साफ्टवेयर का निर्माण या उत्पादन करती है;
  - पहले से मौजूद किसी व्यवसाय के विखंडन या पुनर्निर्माण के माध्यम से इसका गठन नहीं किया जाता है;
  - किसी प्रयोजन के लिए पहले प्रयुक्त मशीनरी या प्लांट के किसी नए व्यवसाय में अंतरण द्वारा इसका गठन नहीं किया जाता है।

4.3(13) : विक्टर शेड्स इंजीनियरिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (सीएसईजेड) - 100 प्रतिशत ईओयू योजना में जारी रहने के लिए 5 साल के बाद ईओयू स्टेटस का विस्तार (जो 14 जनवरी, 2013 को समाप्त हो गया है)

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यूनिट ने लैप्स हो जाने के 7 माह से अधिक अवधि के बाद ईओयू स्टेटस के विस्तार के लिए आवेदन किया है। मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 15 जनवरी, 2013 से 5 साल के दूसरे ब्लाक के लिए ईओयू स्टेटस के विस्तार के लिए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

4.4(13) : बॉडीगियर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (सीएसईजेड) - प्लश ट्वाय जैसे कि एनीमल, इंसेक्ट, क्रिएचर, बैग, पिलो आदि के निर्माण और निर्यात के लिए ईओयू की स्थापना के लिए आवेदन

अनुमोदन बोर्ड ने प्लश ट्वाय के निर्माण और निर्यात के लिए ईओयू यूनिट की स्थापना के लिए यूनिट के अनुरोध पर विचार किया तथा विदेश व्यापार नीति, 2009-14 के पैरा 6.6(घ) के अनुसार प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

4.5(13) : मैसर्स मोहम इंफोटेक (सीएसईजेड) – 100 प्रतिशत ईओयू योजना में जारी रहने के लिए 5 साल के बाद ईओयू स्टेटस का विस्तार (जो 29 मार्च, 2011 को समाप्त हो गया है)

बोर्ड ने नोट किया कि यूनिट ने लैप्स हो जाने के दो साल बाद ईओयू स्टेटस के विस्तार के लिए आवेदन किया है। मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 30 मई, 2011 से 5 साल के दूसरे ब्लॉक के लिए ईओयू स्टेटस के विस्तार के लिए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

बोर्ड ने सभी विकास आयुक्तों को यह सुनिश्चित करने के लिए एक क्रियाविधि का विकास करने का निदेश दिया कि यूनिटों से एलओपी के विस्तार के लिए अनुरोध समय से प्राप्त हों ताकि ऐसे अनुचित विलंब से बचा जा सके।

4.6(13) : मैसर्स रायचेम मेडिकेयर (प्राइवेट) लिमिटेड (सीएसईजेड) – प्लांट एवं मशीनरी, वैज्ञानिक डोर (स्टील डोर) तथा क्लीन रूम पैनल आदि के ड्यूटी फ्री देशज प्रापण के लिए अनुमति

अनुमोदन बोर्ड ने प्लांट एवं मशीनरी, वैज्ञानिक डोर (स्टील डोर) तथा क्लीन रूम पैनल आदि के ड्यूटी फ्री देशज प्रापण के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु यूनिट के अनुरोध पर विचार किया और डीजीईपी तथा विकास आयुक्त, सीएसईजेड की सिफारिश के आधार पर एचबीपी के पैरा 6.5.1(च) के अनुसार प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

4.7(13) : मैसर्स मिजोरम विनस बंबू प्रॉडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (एफएसईजेड) - डीटीए में बिक्री के लिए अनुमति का विस्तार के लिए प्रार्थना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि मिजोरम सरकार द्वारा जनवरी, 2014 तक डीटीए में बिक्री के लिए अनुमति के विस्तार से संबंधित प्रस्ताव की सिफारिश की गई है। प्रस्ताव में उल्लिखित परिस्थितियों पर विचार करने के बाद बोर्ड ने डीजीईपी तथा विकास आयुक्त, एफएसईजेड की सिफारिश के आधार पर डीटीए में बिक्री के लिए अनुमति के विस्तार से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

4.8(13) : मैसर्स डैन फोस्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (एमएसईजेड) – "आरसी इलेक्ट्रॉनिक्स तथा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इंजीनियरिंग डिजाइन सेवा तथा तकनीकी परीक्षण, विश्लेषण और प्रोटोटाइप सहित प्रमाणन" के लिए 100 प्रतिशत ईओयू यूनिट की स्थापना

अनुमोदन बोर्ड ने "आरसी इलेक्ट्रॉनिक्स तथा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इंजीनियरिंग डिजाइन सेवा तथा तकनीकी परीक्षण, विश्लेषण और प्रोटोटाइप सहित प्रमाणन" के लिए 100 प्रतिशत ईओयू यूनिट की स्थापना के लिए यूनिट के अनुरोध पर विचार किया तथा डीजीईपी और विकास आयुक्त, एमएसईजेड की सिफारिश के आधार पर विदेश व्यापार नीति 2009-14 के पैरा 6.7(ख) के अनुसरण में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

4.9(13) : मैसर्स कुसुम हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड (एनएसईजेड) – "लगभग 61180 यूरो मूल्य की 6440 वर्ग मीटर की टार्किट प्राइमो प्रीमियम फ्लोरिंग" के ड्यूटी फ्री आयात को अनुमति प्रदान करना

बोर्ड ने नोट किया कि यूनिट का प्रस्ताव "टार्किट प्राइमो प्रीमियम फ्लोरिंग" के ड्यूटी फ्री आयात के लिए है। बोर्ड ने डीजीईपी तथा विकास आयुक्त, एनएसईजेड की सिफारिश के आधार पर एचबीपी के पैरा 6.5.1(च) के अनुसरण में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

4.10(13) : मैसर्स डैन फोस्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (एमएसईजेड) – "प्रोटोटाइप सहित इंजीनियरिंग डिजाइन सेवा तथा तकनीकी परीक्षण, विश्लेषण के लिए सेवा यूनिट" के लिए 100 प्रतिशत ईओयू यूनिट की स्थापना

अनुमोदन बोर्ड ने "प्रोटोटाइप सहित इंजीनियरिंग डिजाइन सेवा तथा तकनीकी परीक्षण, विश्लेषण के लिए सेवा यूनिट" के लिए 100 प्रतिशत ईओयू यूनिट की स्थापना के लिए यूनिट के अनुरोध पर विचार किया तथा डीजीईपी और विकास आयुक्त, एमएसईजेड की सिफारिश के आधार पर विदेश व्यापार नीति 2009-14 के पैरा 6.7(ख) के अनुसरण में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

4.11(13) : मैसर्स गीतांजली वूलंस प्राइवेट लिमिटेड (केएसईजेड) – बीओए बैठक दिनांक 14 सितंबर, 2012 में लिए गए निर्णय के संदर्भ में एलओपी की वैधता अवधि कम करने के विरुद्ध अपील

यूनिट के प्रतिनिधि श्री सुरेंद्र गोयल, प्रबंध निदेशक तथा श्री दीपक गोयल, निदेशक ने बोर्ड के समक्ष लिखित प्रस्तुति सौंपी जिसे रिकार्ड में लिया गया। यूनिट के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि लिखित प्रस्तुति में जो उल्लिखित है उसमें उनको और कुछ नहीं जोड़ना है। बोर्ड द्वारा मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। तथापि अनुमोदन बोर्ड ने यूनिट द्वारा प्रस्तुत किए गए मामले में कोई औचित्य नहीं पाया और अपने पिछले निर्णय में दखल देने से इंकार कर दिया। तदनुसार, अपील का निस्तारण किया गया।

4.12(13) : मैसर्स परमेश्वर क्रिएशंस (एनएसईजेड) – एलओपी के निरसन के विरुद्ध अपील

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने बोर्ड को सूचित किया कि 9 जुलाई, 2013 को यूनिट को वैयक्तिक सुनवाई का अवसर दिया गया था जिसमें यूनिट ने भाग नहीं लिया तथा 15 जुलाई, 2013 को वैयक्तिक सुनवाई एक और अवसर दिया गया। वैयक्तिक सुनवाई के लिए यूनिट से दो प्रतिनिधि उपस्थित हुए परंतु उन्होंने वित्त वर्ष 2005-06 से 2011-12 के लिए यूनिट का तुलनपत्र प्रस्तुत नहीं किया जो ईओयू के प्रचालन तथा एलओपी की वैधता पर निर्णय के लिए अनिवार्य रूप से अपेक्षित होता है। यूनिट को वैयक्तिक सुनवाई के लिए फिर से बुलाया गया है।

बोर्ड ने विकास आयुक्त, एनएसईजेड को निदेश दिया है कि वे यूनिट को वैयक्तिक सुनवाई का अवसर प्रदान करें तथा एक माह के अंदर स्थाई आदेश पारित करें।

4.13(13) : मैसर्स हथनिक एक्सपोर्ट (एनएसईजेड) – विकास आयुक्त (एनएसईजेड) के निर्णय के विरुद्ध अपील

बोर्ड ने नोट किया कि यूनिट ने डिबांडिंग के लिए आवेदन किया है परंतु अभी तक एनएसईजेड द्वारा उनके मामले का निस्तारण नहीं किया गया है।

बोर्ड ने विकास आयुक्त, एनएसईजेड को निदेश दिया है कि वे यूनिट को वैयक्तिक सुनवाई का अवसर प्रदान करें तथा एक माह के अंदर स्थाई आदेश पारित करें।

4.14(13) : मैसर्स सामयू ग्लास (वीएसईजेड) – ईओयू योजना से ईपीसीजी योजना में अंतरण के लिए अनुमति

मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद अनुमोदन बोर्ड ने टिप्पणी की कि डीजीएफटी की नीति छूट समिति के समक्ष अपने मामले को प्रस्तुत करने के लिए संबंधित प्राधिकारी को आवेदन करने हेतु यूनिट स्वतंत्र है तथा यह मामला अनुमोदन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है।

भाग-2

1995 के प्रेस नोट संख्या 3 के अनुसार प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत विकास आयुक्त द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदनों की अनुमोदन बोर्ड द्वारा पुष्टि

(क)	प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ	सीएसईजेड
(ख)	1 अप्रैल, 2013 से 30 जून, 2013 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन शून्य है	एफएसईजेड
(ग)	मई, 2013 से जुलाई, 2013 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन शून्य है	आईएसईजेड
(घ)	1 अप्रैल, 2013 से 30 जून, 2013 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	केएसईजेड
(ङ)	मई, जून और जुलाई की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	एमएसईजेड
(च)	प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ	एनएसईजेड
(छ)	1 मई, 2013 से 31 जुलाई, 2013 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	एसईईपीजेड – एसईजेड
(ज)	मई से जुलाई, 2013 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	वीएसईजेड
<b>पुराने मामले</b>		
(क)	प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किए गए अनुमोदन निम्नानुसार हैं :  चेन्नई-1 आयुक्तालय द्वारा 31 दिसंबर, 2004 तक जारी किए गए 4 एलओपी चेन्नई-2 आयुक्तालय द्वारा 31 दिसंबर, 2004 तक जारी किए गए 21 एलओपी चेन्नई-3 आयुक्तालय द्वारा 31 दिसंबर, 2004 तक जारी किए गए 55 एलओपी चेन्नई-4 आयुक्तालय द्वारा 31 दिसंबर, 2004 तक जारी किए गए 29 एलओपी पांडिचेरी आयुक्तालय द्वारा 31 दिसंबर, 2004 तक जारी किए गए 12 एलओपी सलेम आयुक्तालय द्वारा 31 दिसंबर, 2004 तक जारी किए गए 31 एलओपी मदुरई आयुक्तालय द्वारा 31 दिसंबर, 2004 तक जारी किए गए 14 एलओपी तिरुनवेली आयुक्तालय द्वारा 31 दिसंबर, 2004 तक जारी किए गए 28 एलओपी कोयंबटूर आयुक्तालय द्वारा 31 दिसंबर, 2004 तक जारी किए गए 18 एलओपी	एमएसईजेड

प्रतिभागियों की सूची

1	श्री एस आर राव, वाणिज्य सचिव	अध्यक्ष
2	डा. ए के पुजारी, महानिदेशक, डीजीएफटी	
3	श्री राम तीर्थ, महानिदेशक, डीजीईपी, राजस्व विभाग	
4	श्री राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव	
5	श्री संजीत सिंह, निदेशक, वाणिज्य विभाग	
6	डा. एल बी सिंघल, अपर डीजीएफटी	
7	सुश्री ए एन सफीना, विकास आयुक्त, सीएसईजेड	
8	श्री संजीव नंदवानी, विकास आयुक्त, एफएसईजेड	
9	श्री ए के राठौर, संयुक्त विकास आयुक्त, आईएसईजेड	
10	श्री महेंद्र जैन, विकास आयुक्त, केएसईजेड	
11	श्री अनिल बाम्बा, विकास आयुक्त (प्रभारी), एमएसईजेड	
12	श्री जयंत मिश्रा, विकास आयुक्त, एनएसईजेड	
13	श्री एन पी एस मोंगा, विकास आयुक्त, एसईईपीजेड - एसईजेड	
14	श्री एस किशोर, विकास आयुक्त, वीएसईजेड	
15	श्री मनोज कुमार अरोड़ा, अपर निदेशक, डीजीईपी, सीबीईसी, राजस्व विभाग	
16	डा. एस के साहू, उप निदेशक (ईपी), एमएसएमई	
17	सुश्री दीपशिखा शर्मा, अवर सचिव (आईटीए-1), सीबीडीटी, राजस्व विभाग	
18	श्री एस एस कुमार, अवर सचिव, वाणिज्य विभाग	

\*\*\*